H.T.D
8/7/2003

आतंक के साये में जीने वाले

बेस्ट बेकरी के गवाहों का होगा मुंबई में विस्थापन

■ ज़हीर सिद्दीक़ी

मुंबई : गुजरात दंगों के दौरान बड़ौदा स्थित बेस्ट बेकरी कांड जिसमें १२ लोगों को जिंदा जला दिया गया था, उसके गवाहों का विस्थापन मुंबई में किया जायेगा, यह बात 'सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस' के सदस्य गुलाम पेश इमाम ने 'महानगर' से कही.

ज्ञात हो कि मुंबई में १९९२-९३ में हुए भयानक अचानक दगों के बाद उक्त संस्था 'सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस' बनायी गयी थी. संस्था के सदस्य जावेद आनंद ने बताया कि इस संस्था का उद्देश्य केवल दंगा पीड़ितों को राहत पहुंचाना ही नहीं बल्कि दंगों के आरोपियों को सजा दिलवाना है. इसीलिए हमारी संस्था सी जेपी बेस्ट बेकरी कांड के पीड़ितों की मदद के साथ-साथ उनके केस लड़ने में मदद करेगी. उन्होंने कहा

जाहिरा से बातें करते हुए जावेद अख्तर और अलीक पदमशी

कि बेकरी कांड की पीड़ित जाहिरा के परिवार वालों को उस वक्त तक हमारी संस्था सुरक्षा देगी जब तक कि वे खुद यह न महसूस करने लगें कि अब गुजरात में उनके लिए असुरक्षा नहीं है. उन्होंने कहा कि वैसे भी जब तक गुजरात में विस्फोटक सांप्रदायिक हालात है. हम उन्हें वहां भेजने का जोखिम नहीं लेंगे और वे लोग स्वयं भी नहीं जाना चाहते इसमें कुछ भी समय लग सकता है. १० माह भी १० साल भी. संस्था के सदस्य गुलाम पेश इमाम ने कहा कि जाहिरा के परिवार वालों के लिए रहने, खाने के साथ-साथ उनकी रोजी-रोजगार का भी बंदोबस्त किया जायेगा. जब उनसे पूछा गया कि गुजरात दंगों के और गवाह भी अगर आना चाहें यहां तो क्या आप लोग उनके लिए भी यही सब करेंगे? इसके जवाब में जावेद आनंद ने कहा कि अगर ईमानदारी से और निडर होकर वे

(शेष पृष्ठ १२ पर)

बेस्ट बेकरी (पृष्ठ १से)

आते हैं तो हम उनकी मदद करेंगे. संस्था को फंड कहां से आता है इस सब कामों के लिए यह पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारी संस्था के सदस्य अपने पास से या अपने माध्यमों से पैसा जमा करते हैं, वैसे भी हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन कामों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. ज्ञात हो कि 'सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस' संस्था के अध्यक्ष विजय तेंडुलकर हैं, उपाध्यक्ष आईएमकाजी, सचिव टीस्टा सेटलवाड तथा सदस्यों में अलीक पदमशी, जावेद अख्तर, जावेद आनंद, गुलाम पेश इमाम और इसके अलावा मुंबई के कई गणमान्य लोग हैं.

कल उक्त संस्था के साथ बेस्ट बेकरीकांड की पीड़ित जाहिरा शेख उनकी मां खैरूननिसां, भाई नसीबुल्लाह और नफीसुल्लाह एक संवाददाता सम्मेलन में प्रेस के सामने आये और उन्होंने गवाही से मुकरने के बारे में एक सनसनी खेज बयान देकर इस प्रकरण में एक नया मोड़ पैदा कर दिया. खैरूननिसां की बेटी जाहिरा ने बताया कि मैं बेकरी कांड की चश्मदीद गवाह हूं मैं उन लोगों को पहचानती हूं, जिन्होंने मेरी बहन, मेरे मामू और अन्य १० लोगों को जिंदा जलाया था. लेकिन अदालत में बयान बदलने और आरोपियों को न पहचानने के लिए मुझे धमकी दी गयी थी. यह धमकी भाजपा विधायक मधु श्रीवास्तव ने दी थी. जाहिरा ने कहा कि 'मैं अब फिर से इस केस को मुंबई में शुरू करना चाहती हूं क्योंकि गुजरात में हमें इंसाफ नहीं मिलेगा और हमारे परिवार का जीवन भी गुजरात में सुरक्षित नहीं है, उन्होंने कहा कि मुंबई में हमें सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) का सहारा मिला है हमें उम्मीद है कि हम मकसद में जरूर कामयाब होंगे.

जाहिरा से जब पूछा गया कि आपने और आपकी मां ने अदालत में अपना बयान क्यों बदल दिया था, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब हमने पुलिस स्टेशन में बयान दिया कि हम उन लोगों को पहचानते हैं, जिन्होंने यह कांड किया है और जब उनकी नामजद रिपोर्ट लिखाकर हम बाहर निकले तो बाहर एक गाड़ी खड़ी थी हमें उसमें बैठने को कहा गया, जाहिरा ने बताया कि उस समय मेरा भाई भी वहां मौजूद था उसने कहा गाड़ी में बैठ जाओ, उसने बताया कि वह गाड़ी भाजपा विधायक मधु श्रीवास्तव की थी. गाड़ी में बैठने के बाद हमें काफी समझाया गया कि तुम इस तरह का कोई बयान न दो और आरोपियों को पहचानने से इंकार कर दो. जाहिरा का कहना है कि जब केस अदालत में गया और अदालत से आरोपियों को सम्मान आया तो फिर उसके बाद मुझे लगातार धमकियां आने लगीं मोबाइल पर बार-बार धमकी दी जा रही थी कि अगर तुमने अदालत में बयान दिया और आरोपियों की पहचान की तो तुम्हें खत्म कर दिया जायेगा और साल ही तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया जायेगा. हमारे ऊपर काफी दबाव था और हम लोगों को सहारा देने वाला कोई नहीं था. हमनें दबाव में और धमकी में आकर अपना बयान मजबूरी में बदला लेकिन अब मैं मुंबई में इस केस को फिर से चलाना चाहती हूं क्योंकि गुजरात में वकील, जज, पुलिस सबके सब बिक चुके हैं. उनका मुझे भरोसा नहीं है और मुझे वहां न्याय नहीं मिलेगा यह मेरा विश्वास है इसलिए मैं यहां मुंबई में केस लड़ना चाहती हूं.

जब उनसे पूछा गया कि क्या आज आपको डर नहीं लगता तो उन्होंने कहा कि जो होगा उसका सामना करूंगी. गुजरात में तो कोई सहारा नहीं था, कोई साथ देने को तैयार नहीं था यहां तक कि जब अदालत में मामला चल रहा था मैंने कई लोगों से मदद मांगी लोग मुझसे मुकदमा लड़ने के लिए चार लाख रुपये की मांग करते थे, मुझे किसी ने यह तक नहीं बताया कि मेरा वकील कौन है मैंने बहुत लोगों से पूछा कि मेरा वकील कौन है मैं उनसे मिलना चाहती हूं लेकिन किसी ने नहीं बताया आज तो मुंबई में कुछ लोग मुझे सहारा दे रहे हैं, मेरे साथ हैं इसलिए मेरी भी हिम्मत बढ़ी है.

ज्ञात हो कि बड़ौदा की बेस्ट बेकरी को गुजरात दंगों के समय १ मार्च २००२ में फूंक दिया गया था और बारह लोगों को जिंदा जला दिया गया था, जिसकी चश्मदीद गवाह जाहिरा थी. मामला अदालत में गया जहां जाहिरा और उसकी मां खैरूननिंसा अपनी गवाही से मुकर गयीं फलस्वरूप बेकरीकांड के समस्त २१ आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया. लेकिन एक बार फिर अब सी.जी.पी. के सहयोग से यह मामला उठाने की कोशिश की जा रही है जिसके लिए कल प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन में बेकरीकांड में प्रभावित परिवार जाहिरा, उसकी मां खैरूननिसां, उसके भाई नसीबुल्लाह व नसीसुल्लाह पत्रकारों के सामने आये और जाहिरा ने पत्रकारों को उपरोक्त बयान दिया.